प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-241/2026 दिनांक 30.08.2026)
दिनांक-30.08.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना सेवरहीं

लूट की घटना का सफल अनावरण, घटना में शामिल 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जयंत यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 30.08.2026 को थाना सेवरही पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 208/2026 धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित में 03 नफर अभियुक्तगण 01.फैयाज शेख पुत्र मुस्लिम साकिन रकबा दुलमा पट्टी टोला रामसगरा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर 02. नजरे आलम पुत्र हैदर अली निवासी रकबा दुलमा पट्टी टोला रामसगरा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर 03.आसीर अली पुत्र मुजाम अली निवासी मझम्मपुर थाना बेलडन्गा जनपद मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल हा0मु0 भटवलिया नं0 2 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से लूटी गयी मोबाइल (सैमसंग कंपनी की) व लेडिज पर्स तथा 9100/- रुपये नगद की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का विवरण-
दिनांक 15 अगस्त 2026 को श्री दिलीप सिंह (पुत्र महेन्द्र सिंह), निवासी ग्राम गौरी श्रीराम, थाना विशुनपुरा, जनपद कुशीनगर अपनी पत्नी पम्मी पटेल और पुत्र आदर्श सिंह के साथ तमकुहीराज मेला घूमकर रात करीब 10 बजे घर लौट रहे थे। अहिरौली हनुमान सिंह स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास पहुँचने पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार पीछे से आए और दिलीप सिंह की पत्नी का हैंडबैग छीनकर भाग गए। हैंडबैग में ₹10,000 नकद और एक सैमसंग एंड्रॉइड मोबाइल रखा था। घटना की सूचना पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 208/2026 धारा 309(4) बीएनएस के अंतर्गत

Edit with WPS Office

अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मामले में शामिल दो अभियुक्तों 01.फैयाज शेख उपरोक्त 02. नजरे आलम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। फैयाज व नजरे आलम आपस में अच्छे मित्र है। पुलिस द्वारा नजरे आलम से पुछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने ये घटना अपनी नयी नवली पत्नी को नया मोबाइल देने के लिये कारित किया है। इनके कब्जे से लूटी गई राशि में से ₹9,100 तथा पर्स (हैंडबैग) बरामद हुआ।

मोबाइल की बरामदगी-

उपरोक्त दोनों अभियुक्तों ने लूटा हुआ मोबाइल तमकुहीराज स्थित पुरानी मोबाइल खरीद-बिक्री की दुकान पर तीसरे अभियुक्त आसीर अली (पश्चिम बंगाल निवासी) को बेच दिया था। पुलिस ने आसीर अली के पास से उक्त सैमसंग मोबाइल बरामद कर लिया।

आसीर अली का अतिरिक्त आपराधिक कृत्य-आसीर अली चोरी के मोबाइलों को खोलकर उनके कीमती पार्ट्स (स्क्रीन, टच, कैमरा, बैटरी आदि) अलग-अलग निकालकर पश्चिम बंगाल में बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से पुलिस ने 18 अदद खुले मोबाइल, बड़ी मात्रा में एंड्रॉइड मोबाइल पार्ट्स तथा कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए।

सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 208/2026 धारा 309(4),317(2),3(5) बीएनएस थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. फैयाज शेख पत्र मुस्लिम साकिन रकबा दुलमा पट्टी टोला रामसगरा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. नजरे आलम पुत्र हैदर अली निवासी रकबा दुलमा पट्टी टोला रामसगरा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. आसीर अली पुत्र मुजाम अली निवासी मझम्मपुर थाना बेलडन्गा जिला मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल हा0मु0 भटवलिया नं0 2 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

1. लूट के 9100/- रुपये नगद
2. लूट का एक अदद एन्ड्राईड मोबाइल (सैमसंग कम्पनी)
3. एक हैण्ड बैग (लेडीज पर्स)
4. 18 अदद खुली हुई एण्ड्राईड मोबाइल फोन व अधिक मात्रा में कीपैड

Edit with WPS Office

मोबाइल फोन
5. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाची रजि0सं0-UP57CC8485

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-
1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 स्वतंत्र कुमार सिंह प्रभारी स्वाट जनपद कुशीनगर
3.उ0नि0 सन्नी दूबे प्रभारी सर्विलांस जनपद कुशीनगर
4.उ0नि0 अनिल कुमार शर्मा (चौकी प्राभारी) कस्बा सेवरही कुशीनगर
5.उ0नि0 राम सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
6. उ0नि0 राजेश यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
7-अमित सिंह कम्प्यूटर आपरेटर सर्विलांस सेल कुशीनगर
8.हे0का0 रामइकबाल राव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
9.हे0का0 संतोष कुमार सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
10.हे0का0 राहुल सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
11.हे0का0 सत्येन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
12.का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
13.का0 ऋषि पटेल स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
14.का0 अंकित सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
15.हे0का0 उमेश कुमार थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
16.का0 पवन कुशवाहा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
17.का0 गिरीशचन्द गौड थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 48 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में-
1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 49 वाहन
2. 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0 83, व्यक्ति-248
3. वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
4. जनपद में कुल गिरफ्तारी– (कुल 51)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office